समाचार.प्रकाषनार्थरू.

बल्क कनेक्षन स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय प्रारंभ नहीं करने पर जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1.1 वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम 13 दिसम्बर । नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में बल्क कनेक्षन देने की स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक.एक वेतनवृद्धि रोके जाने हेतु 01 दिसम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने पर संबंधितों द्वारा स्पश्टीकरण दिया गया किन्तु उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व इसकी षिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 11 दिसम्बर को रतलाम प्रवास के दौरान क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा षिकायत किये जाने पर 12 दिसम्बर से पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने की कार्यवाही की गई जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाता तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता।
उक्त घोर लापरवाही के कारण मध्यप्रदेष सिविल सेवा ;वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम.1966 के तहत श्री मोहम्मद हनीफ षेख प्रभारी कार्यपालन यंत्रीए श्री भैय्यालाल चौधरीए श्री सुहास पंडित उपयंत्रीए श्री नीरज यादव केमिस्ट व श्री मोहनलाल ओसारी पम्प कुल की एक.एक वेतनवृद्धि असयंचयी प्रभाव से रोकी।

24 दिसम्बर से 3 जनवरी तक आयोजित होगा त्रिवेणी मेला

रतलाम 12 दिसम्बर । त्रिवेणी के पावन तट पर ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेला आयोजित किये जाने के संबंध में विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के मध्य हुई चर्चा व सहमति अनुसार 24 दिसम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक मेला कोरोना संक्रमण को दृश्टिगत रखते हुए आयोजित किया जायेगा।
कोरोना संक्रमण को दृश्टि गत रखते हुए मेले में सीमित दुकानें लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी ताकि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो।

कन्सलटेंट प्र्रषमन प्रकरण तीन दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देष

लापरवाही बरतने पर होगा लायसेंस निरस्त

रतलाम 13 दिसम्बर । नगर मंे अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु षासन के नवीन निर्देष अनुसार प्रषमन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नगर मंे अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु षासन के नवीन निर्देषों के अनुसार प्रषमन किये जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अन्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लघंन पाये जाने पर प्रषमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देष दिये।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किये जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किये जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण षेश नहीं होगा उन्हे प्रमाण.पत्र भी दिया जायेगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहममद हनीफ षेखए श्री जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए श्री अनवर कुरेषी के अलावा उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए निज सहायक श्री सुभाश गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

ष्वान बधियाकरण हेतु नियमानुसार होगा समिति का गठन

रतलाम 13 दिसम्बर । शहर में आवारा ष्वानों के बधियाकरण की षुरूआत से पहले नियमानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वंय सेवी संस्था सदस्यए जीवदया समिति सदस्यों व निगम अधिकारियों की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारियाए निगम अधिकारीए स्वंय सेवी संस्था सदस्यए जीवदया समिति सदस्यों को डॉण नवीश नेहरा ष्वानों के बधियाकरण की कार्यवाही से बताया कि ष्वानों को किस प्रकार से पकड़ा जायेगाए बधियाकरण किस प्रकार से किया जायेगाए बधियाकरण पष्चात उन्हे कितने दिन रखा जायेगाए उन्हे क्या खाना खिलाया जायेगा जैसी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

बैठक में तय किया गया कि ष्वानों के बधियाकरण के पूर्व नियमानुसार समिति का गठन किया जिसमें निगम आयुक्तए वेटनरी डॉ0ए 2 एनिमल एक्टीविस्टए सोष्यल वर्कर आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी के अलावा श्रीमती अदीति दवेसरए श्रीमती बबीता नागरए श्रीमती आषा गुप्ताए अर्पित उपाध्यायए पल्लवी टांकए विषाल उपाध्याय आदि उपस्थित थे।

खुले में गंदगी करने पर 22 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 34 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 13 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 13 दिसम्बर को 22 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर पाटीदार धर्मषाला लक्ष्मी नगर पर 3000ए गुरूकृपा पान सेंटरए सुरेष व्यास गायत्री टॉकिज पर 250.250ए प्रकाष प्रजापति अषोक नगरए सोनू जैनए नियाज मोहम्मदए पंकजए संजू पोरवालए अर्जून घांस बाजार पर 100.100ए राकेषए षंभूए दर्षनए कृशण कुमारए सोहनए संदीप लक्ष्मी नगरए बसंतीलालए हीरालालए राजू यादव अषोक नगरए मगनलाल मीणाए छगन यादव घांस बाजारए भानूप्रताप सिंहए कमलेष

लक्कड़पीठा पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

13 दिसम्बर को 89 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 13 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 13 दिसम्बर सोमवार को 89 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

13 दिसम्बर सोमवार को डम्पर से 32895ए टेª क्टर से 11210ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24125 व काम्पेक्टर गीला कचरा 21635 किलो इस तरह कुल 89865 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6195 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 13 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने

वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 13 दिसम्बर सोमवार तक 6195 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 61ण्95 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 13 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 13 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड

प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्13ण्12ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण